बन्धुआ मजदूरी एवं ठेका श्रम से सम्बन्धित कानून

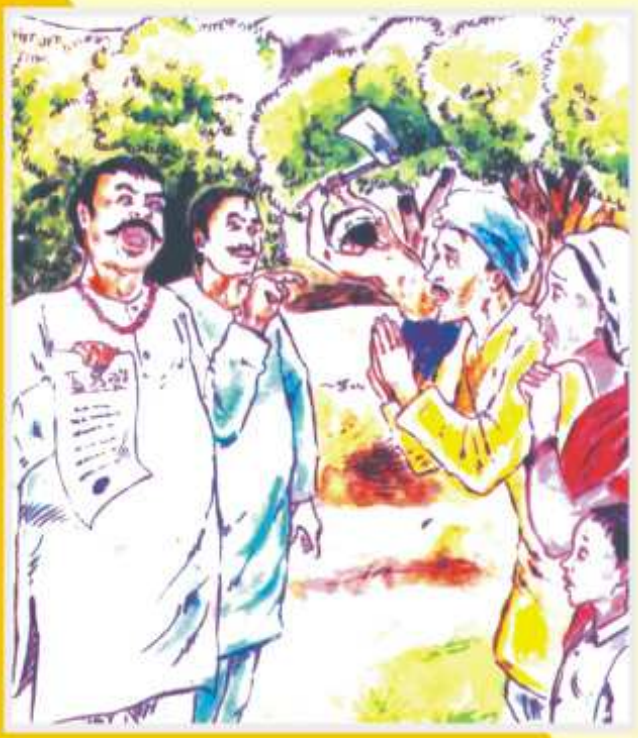

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

बन्धुआ मजदूरी एवं ठेका श्रम से सम्बन्धित कानून

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

यह अधिनियम बन्धित श्रम प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि समाज के दुर्बल वर्गों को आर्थिक और शारीरिक शोषण से मुक्ति मिल सके।

बन्धित श्रम पद्धति

बन्धित श्रम पद्धति का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, जिसके अन्तर्गत कोई भी कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज देने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कोई समझौता करता है, या ऐसा सोचा जाता है, कि उसने ऐसा समझौता किया है कि–

- व्यक्ति या उसके वंशजों या पूर्वजों द्वारा लिए गये उधार के बदले में (चाहे ऐसा किसी दस्तावेज में लिखा हो या नहीं) तथा ऐसे दिये जाने वाले उधार के ब्याज के बदले में कराया गया काम।
- किसी प्रथा या सामाजिक बंधन के अनुसार कराया गया काम।
- ऐसा काम करने की जिम्मेवारी जो उसे विरासत में मिली हो।
- उस व्यक्ति द्वारा या उसके पूर्वजों में से किसी के द्वारा प्राप्त किसी पैसे के बदले किया गया काम।
- किसी विशेष जाति या समुदाय में उसके जन्म लेने के कारण।

जहाँ पर वह–

- स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के माध्यम से लेनदार के लिए या उसके फायदे के

लिए और निश्चित या अनिश्चित समय के लिए और बिना मजदूरी या बहुत कम मजदूरी पर काम करता हो।

- अपनी नौकरी या जीविका के अन्य साधनों की स्वतंत्रता निश्चित या अनिश्चित समय के लिए खो देता है।
- भारत में बिना पाबंदी के घूमने का अपना अधिकार खो देता है। अथवा
- अपनी सम्पत्ति या अपने परिवार के सदस्य अथवा आश्रित व्यक्ति द्वारा बनायी गयी वस्तु या निजी सम्पत्ति को बाजार मूल्य पर बेचने का अधिकार खो देता है।

उपर दिये हुए कामों को करने या काम करने के तरीकों को अपनाने के लिए लिया हुआ ऋण बन्धित ऋण कहलाता है।

अधिनियम के लागू होने के बाद से आए बदलाव :– इस अधिनियम के लागू होने के बाद बन्धित श्रम पद्धति समाप्त हो गई है और बन्धित श्रमिक आजाद हो जाएंगे एवं उससे सम्बन्धित सभी जिम्मेदारियों से भी मुक्त होंगे।

इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद कोई व्यक्ति–

- बन्धित श्रम के लिए कोई एडवांस (अग्रिम) नहीं देगा।
- किसी व्यक्ति को बन्धित श्रम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

समझौते, प्रथा आदि का समाप्त होना–

- बन्धित श्रम पद्धति से सम्बन्धित समझौते, परम्परा या प्रथा जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी

सदस्य को बन्धित श्रम करने पर मजबूर किया जाता हो, उसे समाप्त कर दिया गया है।

- बन्धित श्रमिक द्वारा लिया गया उधार या उसके किसी बचे हुए हिस्से को देने की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। और उधार लिए गए पैसे या उसके किसी हिस्से की वसूली के लिए किसी दीवानी न्यायालय या अन्य किसी अधिकारी के सामने कोई वाद या कोई कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

- ऐसे किसी उधार की वसूली के लिए इस अधिनियम से पहले पारित किया गया कोई आदेश या न्यायालय का अन्तिम आदेश यदि पूरी तरह से अदा नहीं किया गया हो तो, यह अधिनियम लागू होने के बाद पूरा अदा समझा जायेगा।

- इस अधिनियम के लागू होने से पहले यदि ऐसे उधार के लिए कोई कुर्की की गई थी आज़ैर वह चल सम्पत्ति अभी तक न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के पास रखी है, तो वह सम्पत्ति उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

- इस अधिनियम लागू होने से पहले यदि बन्धित श्रमिक या उसके परिवार के सदस्य अथवा उसके आश्रित की सम्पत्ति का कब्जा बन्धित ऋण की वसूली के लिए बलपूर्वक लिया गया था, तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसी सम्पत्ति उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

- यदि ऐसे किसी सम्पत्ति का कब्जा इस अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के अन्दर वापस नहीं किया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति नियुक्त अधिकारी को आवेदन कर सकता है और नियुक्त

अधिकारी लेनदार को सुनवाई का अवसर देने के बाद सम्पत्ति को वापस करने का आदेश दे सकता है।

- बन्धित ऋण की वसूली के लिए न्यायालय में चल रहा कोई भी मुकदमा इस अधिनियम के लागू होने के बाद खारिज कर दिया जायेगा।

- इस अधिनियम के लागू होने के बाद यदि कोई बन्धित श्रमिक जेल में बन्द है तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।

- अगर किसी बन्धित श्रमिक की सम्पत्ति इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी बन्धकदार के कब्जे में थी, तो ऐसी सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम के लागू होने पर बन्धित श्रमिक को वापस कर दिया जायेगा, और वह सम्पत्ति कर्ज मुक्त होगी।

- बन्धित श्रम से मुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके निवास स्थान से जिसका प्रयोग वह बन्धित श्रम के प्रतिफल के रूप में कर रहा था बेदखल (निकाला) नहीं किया जा सकता।

- यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी कोई कर्जा देने वाला व्यक्ति किसी बन्धित श्रमिक को किसी निवास स्थान या निवास परिसर से बेदखल करता है। तो उस क्षेत्र का कार्यपालक मजिस्ट्रेट बन्धित श्रमिक को उसी समय जल्द से जल्द निवास स्थान का कब्जा वापस दिलवाएगा।

- इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई बन्धित ऋण समाप्त हो गया है, या समाप्त हुआ समझा गया है या पूरी तरह अदा कर दिया गया समझा गया है, तो कोई भी लेनदार ऐसे बन्धित ऋण के लिए किसी प्रकार का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा।

- यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की जेल और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही अगर उसने किसी भुगतान को स्वीकार किया है तो न्यायालय भुगतान की राशि श्रमिक को वापस कराएगा।

अधिनियम को लागू करने वाले अधिकारी

इस अधिनियम के अर्न्तगत राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियाँ एवं ऐसे कर्त्तव्य प्रदान किये जाएगें जिससे इस अधिनियम के अर्न्तगत बनाए गये नियमों को सही रूप से लागू किया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के कर्त्तव्य

1. अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी की देखरेख में बन्धित श्रमिकों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करके और संरक्षण देकर ऐसे बन्धित श्रमिकों के कल्याण का प्रयत्न करेगा, जिससे उन श्रमिकों को बन्धित ऋण लेने के लिए करार करने की आवश्यकता न पड़े ।

2. प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जांच करे कि अधि ानियम लागू होने के बाद उसके क्षेत्र में बन्धित श्रम तो नहीं हो रहा है यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसी कार्यवाही करे जो बन्धित श्रम को समाप्त करने के लिए जरूरी हो।

सतर्कता समितियां

- **जिला सतर्कता समिति**

  राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतनी सतर्कता समितियां गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे। प्रत्येक सतर्कता समिति में जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित व्यकित उसका अध्यक्ष होगा।

- **उपखण्ड सतर्कता समिति**

  राज्य सरकार प्रत्येक तहसील में उतनी सतर्कता समितियां गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे। प्रत्येक सतर्कता समिति में उप खण्ड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, उपखण्ड सतर्कता समिति का अध्यक्ष होगा।

सतर्कता समिति के कार्य

प्रत्येक सतर्कता समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे।

- यह देखना कि अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का सही रूप से पालन हो रहा हो और इस विषय में किये गये प्रयासों और कार्यवाही के बारे में जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को सलाह देना।

- मुक्त किये गये बन्धित श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना।

- मुक्त किए गए बन्धित श्रमिकों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के कार्यों में तालमेल बैठाना।

- इस अधिनियम के अन्तर्गत बताये गये अपराधों की संख्या पर नजर रखना।
- यह देखना कि क्या कोई ऐसा अपराध गया है, जिसका संज्ञान किया जाना चाहिए।
- सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नियुक्त करेगी, कि वह छोड़े गये बन्धित श्रमिकों के खिलाफ मुकदमों में उनका बचाव करे। ऐसा सदस्य छोड़े गये बन्धित श्रमिकों के मुकदमों का अभिकर्ता (एजेन्ट) समझा जायगा।

अपराध एवं उसके लिए प्रक्रिया–

1. **बन्धित श्रम कराने के लिए दण्ड**

   इस अधिनियम के लागू होने के बाद यदि किसी व्यक्ति को कोई बन्धित श्रम करने के लिए मजबूर करता है, तो वह अधिकतम 3 साल की जेल और 2,000 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

2. **बन्धित ऋण दिए जाने के लिए दण्ड**

   यदि कोई भी इस अधिनियम के लागू होने के बाद बन्धित ऋण देता है तो उसे अधिकतम 3 साल की जेल और 2,000 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

3. **बन्धित श्रम पद्धति के अधीन बन्धित श्रम कराने के लिए दण्ड**

   इस अधिनियम के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति बन्धित

श्रम कराने के लिए किसी प्रथा, समझौते आदि को लागू करता है, तो उसे अधिकतम 3 साल की जेल और 2,000 रूपए के जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माने में वसूल की गई राशि में से बन्धित श्रमिक को हर उस दिन के लिए जिस दिन उससे श्रम कराया गया है, 5 रूपया दिया जाएगा।

4. **बन्धित श्रमिकों को सम्पत्ति का कब्जा वापस देने में असफलता या आदेशों का पालन न करने के लिए दण्ड**

अगर कोई व्यक्ति किसी बन्धित श्रमिक को अधिनियम के लागू होने के 30 दिनों के बाद तक उसकी सम्पत्ति वापस करने में असफल होता है या सम्पत्ति वापस करने के आदेशों का पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम एक साल तक की जेल, या 1,000 रूपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।

अपराधों के लिए न्यायिक क्षेत्राधिकार

1. राज्य सरकार अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करेगी।

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का निपटारा मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त रूप में किया जाएगा।

कम्पनी द्वारा किए गए अपराध

1. अगर कोई कम्पनी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करती है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी के संचालन के लिए जिम्मेदार है, कम्पनी के साथ दोषी माना जाएगा।

2. यदि कम्पनी द्वारा किये गए अपराध में यह साबित होता है कि अपराधी कम्पनी का निदेशक, प्रबन्धक या सचिव है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी दोषी माने जाएंगे।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970

यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ बीस या उससे अधिक मजदूर कार्यरत हैं। या बीते हुए वर्ष के दौरान किसी भी दिन काम करते थे, और यह अधिनियम उन सभी ठेकेदारों पर भी लागू होगा जिन्होंने बीस या उससे अधिक मजदूरों को काम पर लगाया हो।

अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषाएं–

ठेकेदार : ठेकेदार वह व्यक्ति है जो ठेका श्रम के द्वारा किसी प्रतिष्ठान के लिए एक निर्धारित परिणाम का उत्पादन करने की जिम्मेदारी लेता है। किसी वस्तु की आपूर्ति के अतिरिक्त वह व्यक्ति जो ठेका श्रम की आपूर्ति किसी प्रतिष्ठान को करता है। उप–ठेकेदार भी ठेकेदार की परिभाषा में आते हैं।

प्रधान नियोजक : किसी सरकारी कार्यालय या विभाग या स्थानीय प्राधिकारी में वहाँ का मुख्य अधिकारी प्रधान नियोजक माना जाएगा। किसी फैक्ट्री में फैक्ट्री का मालिक या वह व्यक्ति जिसे प्रबन्धक नियुक्त किया गया हो प्रधान नियोजक माना जाएगा। खान के संदर्भ में उसका मालिक, एजेन्ट, और वह व्यक्ति जिसको खान का प्रबन्धक नियुक्त किया गया है। अन्य सभी प्रतिष्ठानों में वह व्यक्ति जो प्रतिष्ठान के कार्यों की देखरेख एवं नियंत्रण करता है, प्रधान नियोजक कहा जाएगा।

ठेका श्रमिक : इस अधिनियम के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान में या उसके काम के सम्बन्ध में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत तब समझा जाएगा जब वह प्रधान नियोजक की जानकारी या उसके बिना किसी ठेकेदार या उसके माध्यम से भाड़े पर किसी काम के सम्बन्ध में काम पर रखा गया है।

मजदूर : मजदूर से मतलब उस व्यक्ति से है, जो किसी प्रतिष्ठान में या उसके किसी कार्य के सन्दर्भ में कोई कुशल, अर्द्धकुशल, या अकुशल शारीरिक, किसी कार्य की देखभाल के लिए तकनीकी व क्लर्क (लिखा–पढ़ी) कार्य करने के लिए भाड़े या इनाम के लिए कार्यरत है। चाहे कार्य की शर्तें लिखित या अलिखित हों।

लेकिन वह व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूर नहीं होगा जो :–

1. किसी प्रबन्धकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है।
2. किसी कार्य की देखभाल के लिए कार्यरत हुआ है, जिसको 500 रूपया से अधिक मजदूरी मिलती है, और जो मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकार के काम के लिए कार्यरत हुआ है।
3. एक बाहरी मजदूर जिसको प्रधान नियोजक की वस्तु प्रधान नियोजक द्वारा या उसकी ओर से साफ करने के लिए,बनाने के लिए , धोने के लिए, ठीक करने के लिए और उस वस्तु को बेंचने के लिए दी गई हो और वह व्यक्ति किसी ऐसे स्थन पर कार्य करता हो, जो प्रधान नियोजक के नियंत्रण में न हो।

केन्द्रीय एवं राज्य ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड

केन्द्र सरकार एक ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। बोर्ड केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के संचालन के लिए सलाह देगा, और वह कार्य करेगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त और कम से कम ग्यारह व ज्यादा से ज्यादा सत्रह सदस्य होंगे।

इसी तरह राज्य सरकार भी एक बोर्ड का गठन करेगी। इसमें कम से कम नौ और अधिक से अधिक ग्यारह सदस्य होंगे।

प्रतिष्ठानों का पंजीकरण : जिन प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम लागू होता है, उसके प्रधान नियोजक को पंजीकरण अधिकारी से पंजीकरण कराना जरूरी है।

ठेका श्रम पर रोक : सरकार केन्द्रीय या राज्य ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से सलाह के बाद उस कार्य पर रोक लगा सकती है, जिसमें ठेका श्रम का इस्तेमाल हो रहा हो।

सरकार ऐसा करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेगी जैसे : कार्य करने की स्थिति और फायदे जो श्रमिकों को प्रदान किए गए हैं। साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखेगी जैसे –

1. क्या यह प्रक्रिया एवं कार्य किसी व्यापार, उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो किसी प्रतिष्ठान में हो रहा है।

2. क्या कार्य बारबार होने वाला है।

3. क्या कार्य आम तौर पर साधारण श्रमिकों के द्वारा हो रहा है।

4. क्या पर्याप्त संख्या में पूरे समय के लिए नियुक्त मजदूरों को काम पर रखना उचित है।

ठेका श्रमिकों के अधिकार : सामान्य श्रमिक जो नियोजक द्वारा कार्यरत होते हैं, उन्हीं की तरह ठेका श्रमिकों के भी कुछ अधिकार हैं।

यह अधिकार उच्चतम न्यायालय ने बी0एच0ई0एल0 कर्मचारी एसोसिएशन बनाम भारत संघ के निर्णय में निर्धारित किए हैं। जैसे –

1. समान वेतन

2. समान अवकाश

3. समान कार्य का समय

4. समान कार्य के नियम

ठेकेदारों को अनुज्ञापित करना : इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी ठेकेदार ठेका ज्ञमिक तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक वह अनुज्ञप्ति अधिकार से अनुज्ञप्ति/लाइसेंस प्राप्त न कर ले।

ठेका श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं कल्याण : इस अधिनियम के अन्तर्गत ठेका श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सरकार कुछ नियम बना सकती जैसे :–

1. खान पान की व्यवस्था : अगर कोई ठेकेदार सौ या सौ से

ज्यादा ठेका श्रमिकों को कार्य पर लगाता है तो ठेकेदार को एक या एक से अधिक जल–पान गृह (कैन्टीन) की व्यवस्था करनी होगी।

2. **विश्राम गृह** : ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहाँ ठेका श्रमिकों को रात को कार्य के सम्बन्ध में रूकना पड़ता है, वहाँ पर ठेकेदार विश्राम गृह या उचित अस्थायी आवास का प्रबन्ध करेगा जिसमें हवा–रोशनी की व्यवस्था हो।

3. **अतिरिक्त सुविधाएँ** : इनके साथ–साथ ठेकेदार कुछ और सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। जैसे :–

   1. साफ पीने के पानी की व्यवस्था।
   2. उपयुक्त शौचालय एवं मूत्रालय।
   3. नहाने धोने की सुविधा।

4. **चिकित्सीय सुविधाएँ** : प्रत्येक ठेकेदार काम करने के स्थान पर उचित जगह पर एक प्राथमिक उपचार पेटिका का प्रबन्ध करेगा

5. **वेतन की जिम्मेदारी** : मजदूरों को वेतन देने के लिए ठेकेदार व उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा।

हर प्रधान नियोजक/मालिक एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो श्रमिकों के वेतन के भुगतान की देखरेख करेगा।

अगर ठेकेदार श्रमिकों को वेतन नहीं दे पाता है, या कम वेतन देता है तो प्रधान नियोजक इसका जिम्मेदार होगा।

उल्लघन होने पर दंड

कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए नियमों का अगर उल्लंघन करता है तो उसे तीन महीने की जेल या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।

न्यायालय जाने की समय सीमा

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गए अपराध की सुनवाई तभी करेगा जब उसकी शिकायत अपराध घटित होने के दिन से 3 महीने के अन्दर निरीक्षक को जानकारी हो गई हो।

जहाँ पर निरीक्षक के लिखित आदेश का उल्लंघन हुआ हो वहाँ पर शिकायत ऐसे उल्लंघन के छः महीने के अन्दर दर्ज कराना जरूरी है।

निरीक्षक : इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार निरीक्षक की नियुक्ति करेगी जो–

- किसी भी प्रतिष्ठान या कार्य के स्थान पर किसी भी समय निरीक्षण के लिए जा सकता है।
- कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है।
- कोई भी कागजी रिकार्ड देख सकता है, व अपने कब्जे में ले सकता है।
- किसी भी श्रमिक से पूछताछ कर सकता है।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in